समाहरणालय – धनबाद
जिला भू–अर्जन शाखा

अधिसूचना संख्या– 99/भू.अ0, धनबाद, दिनांक– 21/11/2017

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत अन्तर्राज्यीय बस स्टैंण्ड निर्माण हेतु धनबाद जिला अन्तर्गत गोबिन्दपुर, धनबाद में समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु M/s. AMCS, Ranchi को एस0आई0ए0 दल के रूप में नियुक्त किया गया है।

अतः अन्तर्राज्यीय बस स्टैंण्ड निर्माण हेतु कुल रकवा 0.4331 हेक्टेयर भूमि का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है ।

1– **परियोजना का नाम :–**
अन्तर्राज्यीय बस स्टैंण्ड निर्माण ।

2– **जिला भू–अर्जन पदाधिकारी**

अन्तर्राज्यीय बस स्टैंण्ड निर्माण हेतु भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है :–
1– अंचल गोविन्दपुर मौजा–पण्डूकी, मौजा नं0–90, कुल प्लॉट– 05 कुल क्षेत्रफल– 0.4331 हेक्टेयर

3– **एस0आई0ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य कियाकलाप निम्न प्रकार होगी :–**

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0आई0ए0) दल को झारखण्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के अध्याय–III के नियम–10 के अन्तर्गत दिये गये सभी दायित्वों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी होगी , मुख्य रूप से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :–

(क) प्रस्तावित परियोजना जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी ।
(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,
(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है,
(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,
(ङ) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु–फसली भूमि है, और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,
(च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्य संकांत पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लांट के लिए उपयोग नियम हो,
(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनकि अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना है,
(ज) भूमि की प्रकृति , भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है, तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,
(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,
(त्र) घृतियों का आकर, स्वामित्व पैटर्न, भूमि–वितरण, आवासीय घरों की संख्या निजी एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना तथा परिसम्पतियों,
(ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षो में भूमि का उपयोग,

इसी प्रकिया के साथ साथ रैयतों के भू–अर्जन के प्रस्ताव विमर्श की कार्रवाई की जानी है ।

4– एस0आई0ए0 के लिए टाईमलाईन निम्न प्रकार होगी :–

(क) अर्जनाधीन क्षेत्र का दौरा एवं रैयतों से सम्पर्क स्थापित करना,
(ख) परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाले परिवारों को सूचीबद्व करना,
(ग) समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0आई0ए0) प्रतिवेदन एवं एस0आई0एम0पी0 पर रैयतों की सुनवाई ,
(घ) एस0आई0ए0 एवं एस0आई0एम0पी0 प्रतिवेदन समर्पित करना,
(ड़) एस0आई0ए0 से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन,

कंडिका–4 (क) से (ड़) पर अंकित कार्यो का निष्पादन कार्यादेश प्राप्ति से......14...... दिनों के अन्दर सुनिश्चित करेंगें । उपरोक्त टाईम लाईन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से गणना की जायेगी,

5– इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा ।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
धनबाद

अपर समाहर्ता
धनबाद

उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक–191 /भू0अर्जन, धनबाद / दिनांक 21/11/2017

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद / अंचल अधिकारी, गोबिन्दपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुं प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उक्त अधिसूचना कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना सुंनिश्चित करेंगें ।

वेब मैनेजर–सह–अपर समाहर्त्ता,(विधि व्यवस्था) धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुं प्रेषित । अनुरोध है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उक्त अधिसूचना एन0आई0सी0, धनबाद के वेब–साईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय ।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
धनबाद

उपायुक्त, धनबाद।

अपर समाहर्ता
धनबाद